पत्र संख्या–स्था0–राज0/2017–18/ 759 / वाणिज्य कर

प्रेषक,

कमिश्नर,
वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त/
समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :: दिनांक 02, जून, 2017

महोदय,

प्रदेश के राजस्व स्त्रोतों में वृद्धि करने, कर प्रशासन को सुदृढ़ करने तथा करापवंचन पर नियंत्रण हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर मा0 वित्त मंत्री जी की अध्यक्षता में वित्त संसाधन समिति का गठन किया गया है, जिसकी प्रथम बैठक दिनांक 01.06.2017 को आयोजित की गई।

उक्त बैठक में दिनांक 01 जुलाई 2017 से संपूर्ण देश में प्रभावी की जा रही जीएसटी की प्रदेश में तैयारियों पर व्यापक चर्चा हुई। समिति के संज्ञान में यह जानकारी आने पर कि कतिपय जनपदों में इस क्रिटिकल समय में वाणिज्य कर के अधिकारियों/कर्मचारियों की ड्यूटी इतर कार्यों में लगा दी गई है, समिति द्वारा गंभीर चिंता व्यक्त की गई। चूंकि इस समय व्यापक स्तर पर व्यापारियों का जीएसटी में माइग्रेशन/इनरोलमेण्ट, जीएसटी हेतु आवश्यक विधिक कार्यवाहियां तथा अधिकारियों/कर्मचारियों/व्यापारियों आदि को आई0टी0 तथा कानूनी जानकारियों के प्रशिक्षण का कार्य समयबद्ध रूप से पूर्ण कराया जाना है।

अतः वर्णित स्थिति में अनुरोध है कि वाणिज्य कर के अधिकारियों/कर्मचारियों की ड्यूटी निर्वाचन कार्य को छोड़कर अन्य किसी कार्य में नहीं लगायी जाये। मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या–985/11–3–2012 दिनांक 17.05.2012 द्वारा भी इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्देश दिये गये हैं। अधिकाधिक राजस्व अर्जन तथा करापवंचन के कार्य को प्रभावी ढ़ंग से किये जाने के लिए विभागीय वाहनों को भी निर्वाचन कार्य के अलावा अन्य किसी ड्यूटी के लिए अधिग्रहण नहीं किया जाये।

भवदीय

(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर
वाणिज्य कर, उ0प्र0।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपिः 1. अपर मुख्य सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर, उ0प्र0 शासन।

2. समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड–1, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी से व्यक्तिगत सम्पर्क कर विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों/वाहनों की ड्यूटी/सम्बद्धता समाप्त कराना सुनिश्चित करें।

2/06/17

(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर
वाणिज्य कर, उ0प्र0।